भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4652**

दिनांक 31.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

**जेजेएच के अंतर्गत लक्ष्य**

**4652. डॉ. ढालसिंह बिसेन:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2020-21 और 2021-2022 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान जेजेएम के तहत मध्य प्रदेश संसदीय क्षेत्र के बालाघाट के अंतर्गत सिवनी एवं बालाघाट जिलों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;
(घ) बालाघाट और सिवनी जिलों में जेजेएम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इसके अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या कितनी है;
(ङ) उपरोक्त में से पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है;
(च) अधूरी परियोजनाओं के किस तिथि तक पूरा होने की संभावना है;
(छ) परियोजनाओं के लक्ष्य की निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं; और
(ज) क्या कार्य निष्पादित करने वाले जिन अभिकरणों के कारण इस संबंध में देरी हो रही है, के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक पीने योग्य नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है।

अगस्त 2019 में, जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, मध्य प्रदेश में 122.27 लाख ग्रामीण परिवारों में से 13.53 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना दी गई थी। तब से 34.83 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। 29.03.2022 तक, मध्य प्रदेश में 48.36 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है। जेजेएम के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शनों की दृष्टि से लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख में)

| वर्ष | राज्य द्वारा कवर किए जाने वाले योजनाबद्ध ग्रामीण परिवार | उपलब्धि (%) |
|---|---|---|
| 2020-21 | 26.27 | 19.9 (76%) |
| 2021-22 | 22.01 | 10.78* (49) |

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस *29.03.2022 की स्थिति के अनुसार

(ग): जलापूर्ति राज्य का विषय है। जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव के अधिकार राज्यों के पास हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सिवनी एवं बालाघाट जिलों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए वर्ष-वार आयोजना नीचे दिए गए अनुसार थी।

| जिला | ग्रामीण परिवार (संख्या में) | |
|---|---|---|
| | 2020-21 | 2021-22 |
| बालाघाट | 39,446 | 86,617 |
| सिवनी | 25,732 | 20,734 |

(घ) से (ज): मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, स्वीकृत परियोजनाओं, उनकी अस्थायी कार्य-समापन तारीख सहित अभी पूर्ण की जाने वाली योजनाओं की संख्या तथा समापन न होने के कारण **अनुबंध** में दिए गए हैं।

जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में संविदा दस्तावेजों में उचित शास्ति-खंड समाविष्ट करने हेतु उपबंध किया गया है ताकि क्रियान्वयन में विलंब से बचने के लिए एजेंसियों को हतोत्साहित किया जा सके। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, विलंब करने वाली निष्पादनकर्ता एजेंसी के विरुद्ध करार/संविदा के खंडों के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाते हैं तथा तदनुसार, शास्ति (शास्तियां) अधिरोपित की जाती हैं।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 31.03.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4652 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**स्वीकृत परियोजनाओं, उनकी अस्थायी कार्य-समापन तारीख सहित अभी पूर्ण की जाने वाली योजनाओं की संख्या तथा समापन न होने के कारणों के ब्यौरे**

क. एकल गांव योजना

| क्र.सं. | जिला | परियोजनाओं की संख्या (जेजेएम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं) | स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए गांवों की संख्या | परियोजनाओं की संख्या (पूर्ण योजनाएं) | कार्यधीन परियोजनाओं (योजनाओं) की संख्या | | परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | अस्थायी कार्य समापन तारीख | |
| 1 | बालाघाट | 563 | 582 | 41 | 522 | दिसंबर-22 | कोविड महामारी और पंचायत चुनाव अधिसूचना |
| 2 | सिवनी | 261 | 259 | 12 | 145 | दिसंबर -22 | |

ख. रेट्रोफिटिंग योजनाएं

| क्र.सं. | जिला | योजना | संसदीय क्षेत्र | गांवों की संख्या | समापन की अवधि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बालाघाट | देवसारा एमवीआरडब्ल्यूएसएस* | बालाघाट | 26 | 6 महीने | रेट्रोफिटिंग कार्य अभी शुरू किया जाना है। निविदा की प्रक्रिया चल रही है। |
| | | भटेरा एमवीआरडब्ल्यूएसएस | बालाघाट | 17 | 6 महीने | |
| | | धूती एमवीआरडब्ल्यूएसएस | बालाघाट | 20 | 6 महीने | |
| | | पिपरझरी एमवीआरडब्ल्यूएसएस | बालाघाट | 8 | 6 महीने | |
| 2. | सिवनी | झुरकी एमवीआरडब्ल्यूएसएस | माडला-सिवनी | 15 | 6 महीने | |

** एमवीआरडब्ल्यूएसएस: बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना*